हूं कि अगर कर्जे की माफी इस समय सम्भव नहीं है, गरीब आदमियों की, जमींदारों की बात मैं नहीं करता, उन गरीब किसानों के ऊपर जो सरकारी कर्जा है, उस पर एक वर्ष का सूद माननीय वित्त मंत्री जी अगर माफ कर सकें, तो यह बहुत अच्छी बात होगी। केन्द्रीय सरकार ने, हमारे प्रधान मंत्री जी ने मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन बुलाया है, आप से अनुरोध है कि माननीय प्रधान मंत्री जी उस सम्मेलन में राज्य सरकारों को सुझाव दें कि वे सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बच्चों की फीस माफ करें और कर्जों के ऊपर कम से कम सूद की माफी जरूर घोषित करवा दें। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मेरे इस सुझावों का स्वागत करेंगे।

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : मैं माननीय सदस्य का समर्थन करता हूं और आप से कहना चाहता हूं कि जो गरीब किसान हैं उनकी जो वसूली है उसको कुछ समय के लिये स्थगित किया जाये।

ठाकुर जगत पाल सिंह (मध्य प्रदेश) : ब्याज तो माफ कर ही दिया जाये लेकिन साथ ही वसूली भी स्थगित की जाये।

ALLEGED USE OF MALE POLICE AGAINST DEMONSTRATION BY SIKH WOMEN

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले एक-दो महीनों में यह देखा जा रहा है कि दिल्ली में महिलाओं के द्वारा जो प्रदर्शन हुये उसमें मर्द पुलिस जाकर हस्तक्षेप करती है। ऐसा पहले नहीं होता था। 14 अगस्त को यहां जो सिख विक्टिम्स हैं उन महिलाओं ने प्रदर्शन किया और उनको मर्द पुलिस फोर्स ने गिरफ्तार वगैरह किया। यह बहुत अनुचित बात है। सरकार पहले भी निर्णय ले चुकी है। इसी तरह मंहगाई को लेकर जिन महिलाओं ने प्रदर्शन किया, उन पर लाठी चार्ज किया गया जो की मर्द पुलिस ने किया। यह शासक पार्टी के लिये और सारे देश के लिये अत्यन्त ही लज्जाजनक बात है। मैं गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि वे अविलम्ब ही हस्तक्षेप करें और यह बतावें कि कौन सी ऐसी असाधारण स्थिति पैदा हो गई थी जिससे प्रदर्शनकारी महिलाओं को मर्द पुलिस को जाकर पीटना पड़ा। गृह मंत्री जी यह बड़ी ही दयनीय अवस्था है।

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): I support his contention.

गृहमंत्री (श्री बूटा सिंह): तुरन्त ही मैं इसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मेरे सहयोगी श्री चिदम्बरम ने उसी दिन यहां पर सूचना दी थी और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता वहां लगा था, उसमें कुछ सी० आर० पी० महिला कांस्टेबलों को लाया गया था और उनको पुरुष पुलिसमैन ने हैंडिल नहीं किया। माननीय सदस्य, यहीं पर चिदम्बरम साहब ने स्पष्ट किया था कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ था। ऐसा भ्रम फैला कर, ऐसी रयूमर्ज फैला कर आप किसी किस्म का वातावरण हमारे समाज में पैदा न करें।

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: They dragged them by hair.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, लगता है कि कुछ गलतफहमी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : उस पर चर्चा हुई है। मंत्री जी ने जवाब दिया था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : : यह दूसरे लाठी चार्ज की बात है। उस दिन महिलाओं पर जो लाठी चार्ज हुआ था वह एक था। यह जो अभी मामले का उल्लेख हुआ है मुझे भी यह जानकारी मिली है कि यहां पर जो दंगे हुए थे 1984 में उस में जो विक्टिम्ज थी जो सिख विक्टिम्ज थी उन्होंने कोई प्रदर्शन किया उसके ऊपर जो पुलिस वाले गये थे वह पुरुष पुलिस वाले थे महिलाएं नहीं थीं। इसके बारे में आप जानकारी करें। अगर आपकी जानकारी में यह बात गलत है तो बात अलग है। हम को इस संबंध में एक सिख संस्था का पत्र भी मिला है जिसमें यह बात लिखी गई है।

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने भी इसी के बारे में कहा कि गृह मंत्री जी जानते हैं तो साफ करें।

NON-IMPLEMENTATION OF HINDI IN PARLIAMENT AND GOVERNMENT DEPARTMENTS

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : मैं आपके द्वारा भारत सरकार विशेषकर गृह मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हिन्दी का विभिन्न विभागों में उपेक्षा हो रही है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन में भी और सदन से बाहर भी, सरकार के विभागों में ऐसे अनेक कर्मचारी हैं जिनका नाम लेना मैं यहां पर उचित नहीं समझता हूं जिनको दो-दो वर्ष तक कोई स्थान नहीं दिया जाता है केवल हिन्दी की वजह से पदोन्नति नहीं हो रही है नियमानुसार। यह ऐसा विषय है जिस पर गम्भीरता से सोचना चाहिये। मुझे जहां तक जानकारी हुई है उन विभागों में भी हिन्दी जानने वालों की उपेक्षा है जैसे गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय जो हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए ज्यादातर जिम्मेदारी लिये हुये हैं। ऐसी बातों में लोगों में थोड़ा राष्ट्रभाषा का तो है ही हमारे देश का भी थोड़ा अपमान है। सदन के अन्दर अनेक बार हम को कहना पड़ता है कि हिन्दी के वक्तव्य नहीं आते प्रायः, कोई दिन ऐसा शायद जाता हो कि हिन्दी के वक्तव्य आते हों सदन हो चाहे सरकार के विभागों में हिन्दी के उपयोग की उपेक्षा है। एक तरह से इसको हम देश की जनता के साथ अच्छा नहीं समझते हैं। मुझे वह दिन याद है जब कांग्रेस के बड़े अधिवेशनों में स्वराज से पहले, स्वराज के बाद भी चाहे वह आवाड़ी में हुआ हो, गोहाटी में हो, चाहे दक्षिण में में हुआ हो दक्षिण भारत के लोग हिन्दी के प्रस्ताव को प्रायः पेश किया करते थे, प्रायः हिन्दी का प्रस्ताव देते थे कि जब देश आजाद होगा हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी। यह दक्षिण के लोग भी कहते थे। आज दुर्भाग्य है कि राष्ट्रभाषा को ले कर हमारे देश में विवाद तो है ही मगर सरकार के दफ्तरों में बार-बार कहने के बावजूद भी हिन्दी में काम करने वालों की उपेक्षा और लापरवाही है। मैं सौभाग्य समझता हूं कि हमारे नेता सदन में बैठे हैं गृह मंत्री तथा रक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं सारा सदन बैठा है मैं चाहूंगा आइंदा चाहे सदन के अन्दर हो या सरकारी विभागों में हिन्दी में काम करने वालों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। उपसभाध्यक्ष महोदय, सभी कार्यालयों में तथा संस्थाओं में यह पोस्टर लगे हुए हैं कि अगर हिन्दी जानते हो तो हिन्दी में काम करो। हिन्दी में काम करना देश का गौरव है लेकिन अन्दर ही अन्दर अंग्रेजीयत का प्रचार हो रहा है। अंग्रेजीयत का प्रचार, अंग्रेजीयत की गुलामी स्वराज प्राप्ति के पहले से आज ज्यादा नजर आती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस को देश से निकाला नहीं गया तो यह देश के लिए दुर्भाग्य होगा। आज दुनिया में चाहे रूस हो, जापान हो, जर्मनी हो, सभी देश अपनी राष्ट्रभाषा के ऊपर गर्व करते हैं। पहले यह बहाना बनाया जाता था कि हिन्दी भाषा में विज्ञान के शब्द नहीं हैं लेकिन अब तो हैदराबाद के कालेज ने हिन्दी का एक कोष विज्ञान के बारे में तय किया है। मैं यह कहना चाहत हूं कि हिन्दी जब आगे बढ़ रही हो तो हमारी सरकार की तरफ से, विभिन्न विभागों की तरफ से इसके प्रति लापरवाही नहीं होनी चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ चाहूंगा कि सरकार इस पर गम्भीरता से सोचे क्योंकि यह देश में बहुत ही चिन्ता का विषय बनता चला जा रहा है।

(*Interruptions*)

श्री राम अवधेश सिंह : (बिहार) : मैं इस मांग का जोरदार समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): No argument please.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM (Tamil Nadu): Sir, hon. Member is giving misleading views here. In Tamil Nadu, there is no such resolution to the effect that Hindi has been accepted as a National Language. (*Interruptions*)

You do not know anything. We have equal rights with Hindi. You have no right to impose Hindi here.